1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 391(E) in Gazette of India dated the 10th August, 1973 under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951. [*Placed in Library. See* No. LT-5448/73].

ANNUAL REPORT ETC. OF OIL AND NATURAL GAS COMMISSION

(1) (i) A copy of the Annual Report together with the Audited Accounts (Hindi and English versions) of the Oil and Natural Gas Commission for the year 1971-72 and of its subsidiary company Hydro-carbons India Private Limited, New Delhi, for the year 1971, under sub-section (3) of section 23 read with sub-section (4) of section 22 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the above Report. [*Placed in Library. See* No. LT-5449/73].

(2) A copy of the 'Action Taken' report on the recommendations of the Committee for review of the Oil and Natural Gas Commission. [*Placed in Library. See* No. LT-5450/73].

REVIEW AND ANNUAL REPORT ETC. OF HINDUSTAN CABLES LTD. FOR 1971-72

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Hindustan Cables Limited, for the year 1971-72.

(ii) Annual Report of the Hindustan Cables Limited, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-5451/73].

12.35 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

STRIKE IN BARAUNI OIL REFINERY

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, आज सवेरे मेरे पास बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन के अध्यक्ष और बिहार विधान सभा में कम्यूनिस्ट दल के उप-नेता श्री चन्द्र शेखर सिंह का एक तार आया है उसको मैं पहले पढ़ देना चाहता हूं :

"Complete strike in Barauni Oil Refinery from today Seek immediate intervention".

अध्यक्ष जी, कल 21 तारीख से बरौनी तेल शोधक कारखाने में पूरी हड़ताल हो गयी है जिसकी वजह से तेलशोधक कार्य बिल्कुल ठप्प हो गया है । 18 तारीख को मैं पटना में था । उस दिन यूनियन के नेता जिन में श्री चन्द्रशेखर सिंह मौजद थे, बिहार ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री चतुरानन, एम० एल० ए० मौजूद थे, मैं भी मौजूद था और इंडियन आयल कौरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुप्ता और दूसरे अधिकारी भी वहां मौजद थे । वहां बिहार सरकार के लेबर मन्त्री और दूसरे अधिकारियों के सामने समझौते की बात चली । समझौते के सिलसिले में यूनियन की तरफ़ से यह कहा गया कि सब से बड़ा सवाल प्रोमोशन का था, और भी कुछ मागें जरूर थीं । लेकिन प्रोमोशन के सिलसिले में जो नीति वहां अपनायी जा रही ह उससे वहां के मजदूरों में बहुत बड़ा असंतोष है । यूनियन की तरफ़ से कहा गया कि जो नियम था जो व्यवस्था गौहाटी में तेल शोधक कारखाने में चल रही है, जो प्रोमोशन की पौलि स वहां या आई० ओ० सी० के दूसरे कारखा न में है उसी को बरौनी तेल शोधक कारखाने

भी अपनाया जाय । इसे मानने से मैनेजिंग डायरेक्टर ने इंकार कर दिया । इतना ही नहीं, वहां पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी की 1972 की रिपोर्ट में जिन सिद्धान्तों का जिक्र किया गया है उसका भी उल्लेख किया गया और कहा गया कि आप इसके मुताबिक काम कीजिये । लेकिन उन्होंने इस बात को भी नहीं माना । तो, नौकरशाही अपने तरीके से चलती है । नौकरशाही की वजह से रेल में पिछले दिनों जो गड़बड़ी चली आप ने देखा, और यह भी देखा कि किस तरीके से करोड़ों का घाटा पहुंचाया गया, उसी तरह से इस पब्लिक सैक्टर कारखाने के जो व्यवस्थापक हैं वे लोग भी मजदूर विरोधी नीति अपना रहे हैं और उनकी वजह से वहां जो हड़ताल हुई है उसकी जवाबदेही इन लोगों पर है । इनकी वजह से सारा काम ठप्प है । इसलिये मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय एक बयान सदन में दें और साथ ही शीघ्र बीच बिचाव कर के मसले का हल निकालें, नहीं तो अगर यह हड़ताल लम्बी चली तो बहुत नुकसान होगा । अभी तक बरौनी कारखाना फ़ायदे में चल रहा है, करोड़ों रु० का फ़ायदा हुआ है । अगर यह स्थिति रही तो घाटा होगा । तो, मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय श्रम मन्त्री के साथ इसमें पड़ कर समझौता करावें और सदन के सामने आज या कल एक बयान दें ।

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : अध्यक्ष जी, बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन रिकग्नाइज्ड यूनियन है । इन्होंने नोटिस दिया था कि हम 2 अगस्त से हड़ताल पर जायेंगे और कुछ डिमान्ड भी इन्होंने पेश की थी । उसके बाद दुबारा नोटिस दिया कि हम अपना फ़ैसला पोसपोन कर रहे हैं और हम 21 तारीख से स्ट्राइक पर जायेंगे । 21 तारीख की स्ट्राइक की अभी पैट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास कोई इत्तला नहीं है । हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं । आई० ओ० सी० की यह कोशिश रही कि जब भी इस किस्मकी स्ट्राइक नोटिस आयी तो मजदूरों के साथ हमदर्दी करके उन चीजों का निपटारा करने का प्रयत्न करते हैं । इसमें भी पूरी तरह से मजदूरों के साथ हमदर्दी करके जो कुछ भी कार्यवाही होगी वह आई० ओ० सी० करेगी । लेकिन पूरी जानकारी प्राप्त करके हम सदन को देंगे । स्टेट गवर्नमेंट को इत्तला दे दी गयी है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप को बाद में ही जानकारी लेकर बयान देना है तो बाद में ही दीजिये । अभी क्या फ़ायदा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैनेजिंग डायरेक्टर इसके लिये पूरी तरह से जिम्मेदार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ऑर्डर प्लीज ?

12.39 hrs.

RE. REFUSAL BY HARYANA AUTHORITIES TO SHOW CERTAIN DOCUMENTS TO MEMBERS OF PARLIAMENT

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I have given a notice so that I could raise this matter and you have been kind enough to say....

MR. SPEAKER: Not as a privilege motion.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let me make my submission.

The facts of the case are as follows. On being frequently approached by small peasants and landless labourers of certain areas in Gurgaon district who have been affected under a particular acquisition order of the Government, I have tabled a motion under rule 189, which has been found in order by your good self and is on the list. Apart from the eviction, the price paid, which is a little over Rs. 11,000 an acre, represents not more than a fraction of the actual price of the land and that has caused severe hardship to many people. I particularly wanted to see the objection filed by a few top per-